Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.7282, Volume 09, No. 02, April, 2019, pp. 151-155

राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन

महेश कुमावत*
बुद्धी प्रकाश बैरवा**

i:Lrkouk

भारत गांवों का देश है इसकी तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गॉवों का विकास किये बिना देश के विकास की कल्पना करना निरर्थक है। गॉवों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका रही है । अतः पंचायती राज में लोकतंत्र की आत्मा नीहित है। देश में प्रचीन काल से ही पंचायते स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्यरत है। जो आज भी सक्रिय रूप से निरन्तर देश के ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार विषय के महत्व को देखते हुए इस पर निरन्तर अध्ययन करना आवश्यक है।

राजस्थान में पंचायतीराज

ग्रामीण स्थानीय स्वायत संस्थाऍ प्राचीन काल से ही रही है। विभिन्न ऐतिहासिक स्त्रोंतो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी ग्राम पंचायतें प्राचीन समय से मौजूद रहीं है। स्वतन्त्रता से पूर्व राजस्थान में बीकानेर पहला राज्य था। जहॉ 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्ज प्रदान किया गया। तत्कालित जयपुर राज्य में एक विस्तृत ग्राम पंचायत अधिनियम 1944 में पारित किया गया। 1948 में पंचायतीराज अध्यादेश लागू करके संयुक्त राजस्थान राज्य में पंचयतों की स्थापना की दिशा में एक सशक्त प्रयास किया गया। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1953 पारित किया गया जिसे 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया। 02 अक्टूबर 1959 में राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहॉ पंचायती राज व्यवस्था का गठन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार एवं शक्तियॉ देने के उद्देश्य से क्रेन्द्र सरकार ने संविधान में 73वॉ संशोधन कर इन्हे मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने भी पुराने पंचायतीराज अधिनियम 1954 तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 को समाप्त कर एक नया अधिनियम ''राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994'' को पारित कर नवीन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके पश्चात् सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में व्यापक संशोधन करते हुए पंचायती राज संस्थाओ को और अधिक शक्तियॉ, कार्य एवं उत्तरदायित्व सौपे गये है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

देश के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्रता के बाद तीनरे दशक से ही ग्रामी क्षेत्र के सुनियोजित विकास में नया स्वरूप लिया और इसके लिए अतिपिछडे एवं गरीबी से प्रभावित परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये, परन्तु राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1971 में विशिष्ठ योजना संगठन की स्थापना हुई। वर्ष 1979 में इसके कार्य क्षेत्र को बढाते हुए पुर्नगठित ''विशिष्ठ योजनाऍ एवं एकीकृत ग्रामीण विकास'' नाम के रूप में सृजित किया गया। 01 अप्रेल 1999 से इस विभाग का नाम ''ग्रामीण विकास विभाग'' रखा गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिकांश योजनाओं का संचालन जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से

* शोधछात्र, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोधछात्र, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में समायोजन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का सृजन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की गतिविधियों में सन्तुलन स्थापित करने तथा कार्यक्रमों के बहतर क्रियानवयन के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान समय में इस विभाग को ''ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग'' के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियानवयन तथा विभाग का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज के द्वारा किया जा रहा है। रोजगार सृजन एवं गरीबी उनमूलन कार्यक्रमों के तहत विभाग द्वारा जहॉ एक तरफ केन्द्र सरकार से अधिक संख्या में संसाधन प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहें है । वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रिय विषमताओं तथा असन्तुलन की दूरी को कम करने एवं जनता की भागीदारी को बढावा देने के साथ गांवों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु आधारभूत संसाधनों को सृजन करने के लिए राज्य सरकार से धनराशि जुटाने का कार्य भी किया जा रहा है । वर्तमान में कार्यरत पंचायतीराज प्रणाली तीन खण्डों में स्थापित है ।

पंचायतीराज व्यवस्था की संरचना

जिला परिषद (जिला स्तर)	पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर पर)	ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर)
• जिला प्रमुख	• प्रधान	• सरपंच
• उपजिला प्रमुख	• उपप्रधान	• उपसरपंच
• परिषद के सदस्य	• समिति के सदस्य	• पंच

साहित्य का पुनरावलोकन

शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं से उपलब्ध सामग्री एवं उपलब्ध पूर्व शोध का गहनता पूर्वक अध्ययन कर सारांश रूप प्रस्तुत किया गया है।

डॉ.के.डी. गौर (1992) ने अपनी पुस्तक ''डायनामिक्स ऑफ रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया'' में ग्रामीण विकास से जुडी समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में वर्णन किया गया है।

श्री बी.एस. खन्ना (1994) में अपनी पुस्तक ''पंचायतीराज इन इण्डिया रूरल लोकल सेल्फ गर्वमेन्ट'' में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के विकास एवं समस्याओं पर प्रकाश डाला है और बताया है कि किस प्रकार पंचायतीराज संस्थान ग्रामीण विकास में योगदान निभाते है तथा अधिकांश राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

डॉ. मनीष श्रीवास्तव (1999) ने अपने शोध ग्रन्थ में बताया है कि पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है।

डॉ. महेन्द्र जेटू (2006) ने अपने अप्रकाशित शोध ग्रन्थ में राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था से जुडी समस्याओं का अध्ययन कर आवश्यक सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है।

डॉ.सुदीप कुमावत (2010) ने अपनी शोध रचना में राजस्थान के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं महिलाओं के रोजगार की वास्तविक स्थिति को जानने का कार्य किया गया है।

श्री राकेश शर्मा (2011) ने अपनी पुस्तक ''पंचायतीराज तब और अब'' में पंचायतीराज के भूत, वर्तमान और सम्भावनाओं की स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया है।

डॉ.के.के. शर्मा (2012) द्वारा रचित पुस्तक ''भारत में पंचायतीराज'' में पंचायतीराज संस्थाओं के आधारभूत ढांचे, उपलब्धियों, आवश्यकताओं, विभिन्न गतिविधियों, समस्याओं एवं अनुछुए पहलुओं का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुतीकरण किया गया है।

श्री सुखवीर सिंह गहलोत (2014) ने ''राजस्थान में पंचायतीराज कानून'' पुस्तक में पंचायतीराज व्यवस्था से सम्बन्धित अधिनियम को सरल शब्दों में समझाने का सराहनीय कार्य किया गया है।

शोध के उद्देश्य

राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहें है। इस अध्यन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन को दिशा देने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तय किये गये है।

- पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करना।
- यह विश्लेषण करना की पंचायतों के तीनों स्तरों पर सरकार द्वारा अनुमोदित नितियों का उचित कियानवयन किया गया है या नहीं।
- वर्तमान आर्थिक परिप्रेष्य में पंचायतीराज संस्थाओं की महत्वता का अध्ययन करना।
- ग्रामीण प्रशासन एवं स्थानीय जनता के मध्य विश्वसनीयता को बढाने हेतु आवश्यक अध्ययन कर सुझाव देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में फैली आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं का विश्लेषण कर उन्हे दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण कर सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनायें

परिकल्पना की सहायता से शोध कार्य में निश्चितता एवं शोध की दिशा का निर्धारण सरल करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन–विषय में निम्न बिन्दुओं को परिकल्पना माना गया है।

- पंचायतीराज संस्थाओं एवं राजस्थान के ग्रामीण–आर्थिक विकास में धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है।
- पंचायतीराज संस्थाओं एवं राजस्थान के ग्रामीण–सामाजिक विकास में धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है।
- पंचायतीराज संस्थाओं के स्वरूप एवं लोक हित में सकारात्मक सम्बन्ध पाया जाता है।

शोध विधि

अनुसंधान पद्धति अनुसंधान समस्या का क्रमबद्ध समाधान का एक मार्ग है। वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध विश्लेषण के बिना इस अध्ययन को पूरा करना सम्भव नहीं है। राजस्थान एक विकासशील राज्य है और पंचायतीराज दूरगामी परिणामों से पूर्ण एक मिश्रित विषय है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की नीति को विभिन्न राज्यों में अपनाया जा चुका है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के विस्तृत रूपों में अनेक विविधताएँ राज्य के ग्रामीण विकास में आवश्यक भूमिका का निर्वाह करती है। जिसका राजस्थान के ग्रामीण विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है और यही अध्ययन का विषय है कि राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन कर ग्रामीण विकास में उत्पन्न होने वाली आर्थिक–सामाजिक विषमताओं को कम करने हेतु एवं लोक कल्याण की गतिविधियों को बढावा देने हेतु गहराई से अध्ययन कर निष्कर्षो तक पहुंचना और अवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना। शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समकों का प्रयोग किया गया है। एक ओर प्राथमिक समकों में प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है वहीं दूसरी ओर द्वितीयक समकों में पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ, प्रकाशित व अप्रकाशित, सरकारी व गैरसरकारी दस्तावेज, बुलेटिंग, विभिन्न पुस्तकालयों एवं इन्टरनेट वैबसाइटों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है।

ज्ञान के क्षेत्र में योगदान

पंचायतों द्वारा ग्रामीण स्तर पर साक्षरता एवं शिक्षा कार्यक्रम, आधुनिकी प्रोद्योगिकी का उपयोग और प्राथमिक स्तर तक विद्यालयों की देखरेख का कार्य किया जाता रहा है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्तरूप पंचायतीराज संस्थाओं में निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा उपेक्षित ग्राम जनों को जुबान एवं आवाज दोनों देने का कार्य किया है। पंचायतों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते रहें है। साथ ही सूचना, सामुदायिक मनोरंजन केन्द्रों एवं पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य भी किया जाता रहा है। प्रोढ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का भी सफल संचालन वर्षो से किया जाता रहा है। पंचायतों द्वारा समय समय पर स्वेच्छिक संगठनों की सहायता से विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का अयोजन कर लोगों को जागरूक बनाने का कार्य किया जाता रहा है।

समाज के क्षेत्र में योगदान

पंचायतीराज व्यवस्था ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की है। पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण साक्षरता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, भूमि विकास, गांव की आस–पास की स्वच्छता, सामाजिक वानिकी, भूमि एवं जल परिक्षण, मूलभूत अधिकारों के प्रति चेतना, टीकाकरण, परिवार नियोजन के प्रति चेतना जागृत करना, गांवों में योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ, भूकम्प, तूफान आदि में पुर्नवास की व्यवस्था, विकलांग, मक–बधीर, नेत्रहीनों का पुर्ववास, साम्प्रदायिकता एवं जातियता को रोकना, महिला विकास, बाल विवाह को रोकना, छुआछूत मिटाना, दहेज प्रथा बंद करना, बालश्रमिक प्रथा खत्म करना, नशीले एवं मादक पदार्थो का सेवन बन्द करना, बंधवा मजदूरी खत्म करना, भ्रामक–धारणाएँ खत्म करना आदि कार्य स्वैछिक संगठनों के सहयोग से किये जा रहें है और एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा रहा है।

राष्ट्र के लिए योगदान

पंचायतीराज संस्थाओं ने देश के विकास में नये नये प्रतिमाप स्थापित किये है। कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, पशुपालन आदि क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान की है, बिजली, सडक, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं तथा जीवन की अन्य मोलिक आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए निरन्तर प्रयासरत है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा देश के आर्थिक, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में पूर्णरूप से एवं प्रभावी योगदान कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सम्भावनाओं का पता लगाना तथा सहकारी एवं मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करके विकास की गति को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। देश के ग्रामीण विकास के प्रशासनिक तंत्र में पंचायती राज संस्थाओं को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। गांवों से लेकर जिले के विकास प्रशासन में पंचायतीराज संस्थाओं का योगदान एक सुखद आश्चर्य है।

सूचना का अधिकार

पंचायतीराज विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नियम–2005 से जाडा गया है। जिससे विभाग के कार्यो में जिससे विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लायी जा सके और शासन प्रणाली के सिद्धान्तों को उचित रूप से लागू किया जा सके। पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति को अपने मुख्यालय भवन पर नोटिस बोर्ड लगा पॉच वर्षो के कार्यो का ब्योरा देना अनिवार्य है। जिसकी विस्तृत जानकारी आवेदन शुल्क जमा कराकर आमजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

आय के साधन एवं उपयोग

पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु वित्त आयोग द्वारा कई सिफारिशे की गयी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर, टोल, टैक्स, फीस, मेलों से आय, ड्यूटी, सरचार्ज, चूंगी, किराया राशि, ऋण या दान आदि के सम्बन्ध में पंचायतों के कार्यक्षेत्र में विस्तार कर आय के साधनों को बढाने का प्रयास किया गया है। सैशन जिला परिषद अथवा किसी अन्य संस्था से सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त कर पंचायतें अपनी आय कर सकती है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इन्हे केन्द्र और राज्य से राशि भी प्राप्त होती है।

अनुदान राशि का आवंटन एवं उपयोग

राज्य के 33 जिलों में जिला परिषद 295 पंचायत समितियॉ एवं लगभग 9892 ग्राम पंचायतें कार्यरत है। इन संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान राशि लोक–कल्याण कार्यो के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाती रहती है। यह राशि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के रखरखाव, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के रखरखाव, पेयजल आपूर्ती, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, बस अड्डे, प्याऊ, शौचालय का निर्माण करवाने के साथ साथ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए उपलब्ध करायी जाती है। जिसको उपयोग को निम्न सारणी से समझा जा सकता है–

	अनुदान राशि का आवंटन	अनुदान राशि का जिलेवार उपयोग
जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत	3% 12% 85%	80% जनसंख्या के आधार पर 10% क्षेत्र के आधार पर 5% साक्षरता के आधार पर 5% बी.पी.एल. परिवारों की संरचना के आधार पर
योग	100%	100%

निष्कर्ष

पंचायतीराज संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी प्रशासन की आधारभूत इकाई है पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा लोक कल्याण के लिए कार्य करना तथा विस्तृत स्तर पर व्याप्त होते हुये सफलता पूर्वक कार्यो का निष्पादन करना भारतीय लोकतंत्र में ही नहीं बल्की पूरे विश्व के समक्ष एक अनूठी मिसाल है। सूचना के अधिकार से पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता बढी है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के कार्यविकास में गति के साथ साथ समस्याओं के समाधान प्रतिशत में वृद्धि हुयी है। सरकार द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को समय समय पर सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। जिससे ग्रामीण विकास का मार्ग सुगम होता दिखाई दे रहा है। यद्धपि पंचयतों को प्राप्त होने वाली राशि इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो पर व्यय की तुलना में कम हो परन्तु ग्रामीण विकास में पंचायतों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। पंचायती राज संस्थाएँ कागजी स्तर पर जितनी सफल बतायी जा रही है वास्तविकता में जमीनी स्तर पर उतनी सफल प्रतीत होती नहीं दिखायी देती है। सामाजिक अंकेक्षण, पंचायतों का डिजीटलाईजेशन होने से इनकी कार्यशैली में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता आयी है। परन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका होते हुए भी आशानुरूप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। जितना होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ.के.डी. गौड, डायनामिक्स ऑफ रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1992
- श्री बी.एस. खन्ना, पंचायतीराज इन इण्डिया रूरल लोकल सेल्फ गर्वमेन्ट, डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1992
- मिश्र निरंजन, भारत में पंचायतीराज, परिबोध प्रकाशन, जयपुर, 2006
- राकेश शर्मा, पंचायती राज तब और अब जाहन्वी प्रकाशन, दिल्ली, 2011
- डॉ. के.के. शर्मा, भारत में पंचायतीराज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2012
- सुखवीन्दर सिंह गहलोत, राजस्थान पंचायतीराज कानून, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2016
- डॉ. मनीष श्रीवास्तव, राजस्थान के आर्थिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1999
- डॉ.महेन्द्र सिंह जेटू, राजस्थान पंचायतीराज (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2006
- 73वॉ सविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994, नियम 1996 एवं संशोधन अधिनियम–2007
- पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन रिपोटर्स (2012 से 2018 तक)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, जयपुर।
- www.panchayatraj.gov.nic.in, March, 2019
- www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in, March, 2019.

♦❐♦